राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ7 1(2)( )राछा/सान्याअवि/21/16490 जयपुर, दिनांक 22/8/2022

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2021–22 की बिन्दु संख्या 116 द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के उत्थान हेतु गठित 100 करोड के कोष में स्वीकृत विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के छात्रावास एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 की बिन्दु संख्या 55 द्वारा सामान्य श्रेणी के आर्थिक कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु गठित 100 करोड के कोष में आर्थिक कमजोर वर्ग के छात्रावास स्वीकृत किये गये है।

उपरोक्तानुसार विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के छात्रावासों का संचालन राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2012 के अनुसार किया जावेगा।

राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2012 के नियम 5 के उप नियम 2 के अन्तर्गत विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के छात्रावासों मे प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात निम्नानुसार किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है :–

क्र.सं.	छात्रावास का वर्गीकरण	प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान
1	आर्थिक कमजोर वर्ग	• 60% आर्थिक कमजोर वर्ग • 10% विशेष पिछडा वर्ग • 10% अन्य पिछडा वर्ग • 10% अनुसूचित जाति • 10% अनुसूचित जनजाति
2	विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु वर्ग	• 60% विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु वर्ग • 10% विशेष पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग • 10% अनुसूचित जाति • 10% अनुसूचित जनजाति • 10% आर्थिक कमजोर वर्ग

अन्य वर्गो के छात्रावासों हेतु राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2012 के नियम 5 के अन्तर्गत विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश यथावत रहेंगे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(हरि मोहन मीना)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ7 1(2)( )राछा/सान्याअवि/21/16491–16518 जयपुर, दिनांक 22/8/2022

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलक्टर समस्त।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास) मुख्यावास।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (पिछडी जाति) मुख्यावास।
7. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने एवं प्रवेश पोर्टल पर उक्तानुसार प्रावधान करवाने हेतु।
8. सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
9. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग समस्त।
10. आदेश पत्रावली।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास)

E:\Letter.docx 1174